कार्यालय–जिला कार्यक्रम अधिकारी, जालौन स्थान उरई

पत्रांक सी-341 / जि0का0 / बा0वि0परि0 / 2022–23 दिनांक–21.5.2022

समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी / प्रभारी
जनपद जालौन।

निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या सी–174 दिनांक 20.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि जन–मानस एवं लाभार्थियों को विभाग की सेवाओं, पोषण प्रबन्धन, कुपोषण से बचाव के उपाय, पोषण शिक्षा आदि के सम्बन्ध में **"पोषण पाठशाला"** का आयोजन **दिनांक 26.05.2022** को अपरान्ह 12 से 02 बजे के मध्य किया जायेगा। जिसमें जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अधोहस्ताक्षरी के साथ–साथ आप सभी को भी एन0आई0सी0 के माध्यम से उक्त कार्यक्रम से जुड़ना है।

इस कार्यक्रम का लाइव वेब–कॉस्ट भी किया जायेगा, जिसका बेव लिंक https://webcast.gov.in/up/icds है। उक्त लिंक के माध्यम से समस्त मुख्य सेविकायें, आंगनबाड़ी कार्यकत्री केन्द्र पर पंजीकृत गर्भवती महिलायें, धात्री मातायें / उनके अभिभावक के साथ इस कार्यक्रम से जुड़ेगी।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि पोषण पाठशाला के आयोजन के सम्बन्ध में निदेशालय के संलग्न पत्र में दिये गये विस्तृत दिशा–निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार व किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार

(इफ्तेखार अहमद)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
जालौन स्थान उरई।

पृष्ठांकन / तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1–निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ।
2–जिलाधिकारी महोदया, जालौन स्थान उरई।
3–मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जालौन स्थान उरई।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
जालौन स्थान उरई।

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक C-174 /बा0वि0परि0/पोषण पाठशाला/2022–23 दिनॉक 20 मई, 2022

समस्त जिला कार्यकम अधिकारी/प्रभारी
उत्तर प्रदेश।

विषय– "पोषण पाठशाला" दिनॉक 26.05.2022 के आयोजन के सम्बन्ध में।

विभाग द्वारा जन–मानस एवं लाभार्थियों को विभाग की सेवाओं, पोषण प्रबन्धन, कुपोषण से बचाव के उपाय, पोषण शिक्षा आदि के सम्बन्ध में "पोषण पाठशाला" आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रमुख सचिव महोदया की अध्यक्षता में प्रथम "पोषण पाठशाला" का आयोजन दिनॉक 26.05.2022 को अपरान्ह 12 से 02 बजे के मध्य एन0आई0सी0 के माध्यम से वीडियों कॉन्फ्रेसिंग द्वारा किया जायेगा। इस कार्यकम का मुख्य थीम "शीघ्र स्तनपान–केवल स्तनपान" है। पोषण पाठशाला में विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त विषय विशेषज्ञों द्वारा शीघ्र स्तनपान–केवल स्तनपान की आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता आदि के सम्बन्ध में हिन्दी में विस्तार से चर्चा की जायेगी तथा वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से लाभार्थियों व अन्य द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर दिया जायेगा। इस कार्यकम लाइव वेब–कॉस्ट भी किया जायेगा, जिसका वेब लिंक **https://webcast.gov.in/up/icds** है। इस लिंक के माध्यम से कोई भी लाभार्थी आम जन–मानस इस कार्यकम से सीधे जुड़ सकता है। "पोषण पाठशाला" के आयोजन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नवत् है–

1. जिला कार्यकम अधिकारी द्वारा जनपद के जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी से इस कार्यकम के दौरान जनपद के एन0आई0सी0 केन्द्र में उपस्थित रहने हेतु अनुरोध किया जायेगा।
2. जो प्रतिभागीय इस कार्यकम में एन0आई0सी0 के माध्यम से जुड़ेगे, उन्हें वेब–कॉस्ट के समय विषय विशेषज्ञों से प्रश्न पूछने का विकल्प होगा। यदि प्रतिभागियों के पास कोई प्रश्न हो तो उसे संलग्न फार्मेट पर (हिन्दी में) ई0मेल आई0डी0 jpcsnmup@gmail.com पर साझा किया जा सकता है। प्रश्न का फार्मेट संलग्न है।
3. जिला कार्यकम अधिकारी द्वारा पूर्व में ही यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन प्रतिभागीयों/लाभार्थियों को प्रश्न पूछना है उनकी सूची पूर्व में तैयार कर लेगें तथा उन्हें एन0आई0सी0 में अनिवार्यता बुलाया जायेगा, क्योंकि एन0आई0सी0 के माध्यम से ही प्रश्न पूछा जा सकता है।
4. सभी जिला कार्यकम अधिकारी जनपद के एन0आई0सी0 केन्द्र 3–4 बाल विकास परियोजना अधिकारी, 3–4 मुख्य सेविकाएं के साथ उपस्थित रहेगें।
5. विभाग के अन्य सभी मुख्य सेविकाएं, आशा, आशा संगिनी, ऑगनबाड़ी कार्यकत्री एवं मिनी ऑगनबाड़ी कार्यकत्री वेब लिंक के माध्यम से इस कार्यकम से जुड़ेगी।
6. ऑगनबाड़ी कार्यकत्रिया अपने स्मार्ट फोन के द्वारा वेब लिंक के माध्यम से इस कार्यकम से जुड़ेगी। समस्त ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा अपने केन्द्र पर पंजीकृत अन्तिम त्रैमास की

गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं/उनके अभिभावक की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी। जो लाभार्थी किसी कारण से केन्द्र पर नहीं आ पायेगें वे यथा सम्भव अपने घरो से वेब लिंक के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ेगें यदि उनके पास स्मार्ट फोन की सुविधा उपलब्ध होगी।

7. कार्यकत्रियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनका मोबाइल फोन पूरी तरह चार्ज हो, ऑगनबाड़ी केन्द्र पर लाभार्थियों के बैठने की समुचित व्यवस्था हो तथा पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध हो।
8. ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर वेब–कॉस्ट के समय पोषण पाठशाला का एक संक्षिप्त बैनर प्रदर्शित किया जायेगा, जिसमें केवल पोषण पाठशाला व ऑगनबाड़ी केन्द्र के नाम का उल्लेख होगा। बैनर पर पोषण पाठशाला का दिनांक व थीम आदि अंकित नहीं होगा, ताकि आगामी पोषण पाठशाला के आयोजन के समय उक्त बैनर का पुनः उपयोग किया जा सके।
9. जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सभी मुख्य सेविकाएं, ऑगनबाड़ी कार्यकत्री एवं मिनी ऑगनबाड़ी कार्यकत्री, आशा एवं आशा संगिनी को इस कार्यक्रम का वेब लिंक व दिशा–निर्देश ससमय प्रेषित किया जायेगा।
10. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि उनकी परियोजना की सभी ऑगनबाड़ी कार्यकत्री इस कार्यक्रम में वेब लिंक के माध्यम से जुड़े तथा उपरोक्तानुसार ऑगनबाड़ी केन्द्र पर लाभार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें।
11. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा वेब–कॉस्ट के माध्यम से आयोजित "पोषण पाठशाला" कार्यक्रम के प्रथम आयोजन को सफल बनाने हेतु जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से वेब लिंक का समाचार पत्रों में निशुल्क व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा, ताकि इस कार्यक्रम में वेब लिंक के माध्यम से अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें।
12. श्री सेराज अहमद, संयुक्त परियोजना समन्वयक इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी है, किसी भी जानकारी के लिए उनके दूरभाष नम्बर 9415208064 पर वार्ता की जा सकती है।
13. इस कार्यक्रम का संक्षिप्त रूप रेखा (Concept Note) पत्र के साथ संलग्न है।
14. उक्त कार्यक्रम के पश्चात् निम्न प्रारूप पर सूचना गूगल शीट https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pm1v6EYtg9pyNktR4FCH92j3XNDJ9uV-Yuv83slFtZI/edit?usp=sharing पर भरा जायेगा तथा निम्न प्रारूप पर सूचना हस्ताक्षर सहित मेल आई0 jpcsnmup@gmail.com प्रेषित किया जायेगा।

प्रारूप

जनपद का नाम–.....

पोषण पाठशाला कार्यक्रम में प्रतिभाग लेने वाली ऑगनबाड़ी कार्यकत्री एवं मिनी कार्यकत्री की कुल संख्या	पोषण पाठशाला कार्यक्रम के वेब कास्ट में ऑगनबाड़ी केन्द्र पर प्रतिभाग करने वाले लाभार्थियों, अभिभावकों की कुल संख्या	एन0आई0सी0 में प्रतिभाग किये गये अधिकारी, कर्मचारी, लाभार्थियों, अभिभावकों की कुल संख्या

हस्ताक्षर व नाम
जिला कार्यक्रम अधिकारी
जनपद.....।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनॉक 26.05.2022 को "पोषण पाठशाला" कार्यक्रम के प्रथम आयोजन को सफल बनाने हेतु अपने जनपद में व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें, ताकि इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके।

संलग्नकः– यथोक्त।

(डॉ0 सारिका मोहन)
निदेशक।

पृष्ठांकन /तद्दिनॉकः–

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3. अधिशाषी निदेशक, यू0पी0 टी0एस0यू0।
4. निदेशक, राज्य पोषण मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि दिनॉक 26.05.2022 को आयोजित होने वाले पोषण पाठशाला के वीडियों कॉनफ्रेन्सिग आई0डी0 1369684 के सम्बन्ध में समस्त जनपदों के एन0आई0सी0 को आवश्यक निर्देश व लिंक आदि प्रेषित करने का कष्ट करें।
9. श्री संजय अग्रवाल वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
10. श्री दानिश फैजान, वैज्ञानिक सी0, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ/प्रोजेक्ट समन्वयक, पोषण पाठशाला वेब–कॉस्ट कार्यक्रम।
11. समस्त अधिकारी मुख्यालय।
12. श्री सेराज अहमद, संयुक्त परियोजना समन्वयक/नोडल अधिकारी।
13. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी।
14. नाजिर मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्यक्रम के दौरान एन0आई0सी0 योजना भवन में सुक्ष्म जल पान की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय प्रति।

(डॉ0 सारिका मोहन)
निदेशक।

पोषण पाठशाला दिनांक 26.05.2022 की संक्षिप्त रूपरेखा (Concept Note)

विभाग की सेवाओं, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा पर लाभार्थियों एवं जन समुदाय को जागरूक करना बाल विकास विभाग की एक आवश्यक सेवा है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा प्रतिमाह **"पोषण पाठशाला"** नामक कार्यक्रम अयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका थीम **"शीघ्र स्तनपान–केवल स्तनपान"** है। मई माह में प्रथम पोषण पाठशाला का आयोजन दिनॉक 26–5–2022 (अपरान्ह 12 बजे से 02 बजे तक) किया जा रहा है, पोषण पाठशाला के अंतर्गत उक्त थीम पर विषय विशेषज्ञों द्वारा चर्चा होगी और प्रतिभागियों के सवालों के जवाब भी दिये जाएँगे।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण –5 (NFHS 5) के अनुसार उत्तर प्रदेश में शीघ्र स्तनपान (जन्म के एक घंटे के अंदर नवजात शिशु को स्तनपान) का दर 23.9 प्रतिशत है और छह माह तक के शिशुओं में "केवल स्तनपान" का दर 59.7 प्रतिशत है । शिशुओं में शीघ्र स्तनपान व केवल स्तनपान, उनके जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु ज्ञान के अभाव और समाज मे प्रचलित विभिन्न मान्यताओं व मिथकों के कारण यह सुनिश्चित नहीं हो पाता है, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध होता है । इसके लिए माह मई व जून में प्रदेश में **"NO WATER,ONLY BREAST FEEDING CAMPAIGN"** (पानी नहीं, केवल स्तनपान अभियान) चलाया जा रहा है।

मॉ का दूध शिशु के लिए अमृत के समान है। शिशु एवं बाल मृत्यु दर में कमी लाने के लिए यह आवश्यक है कि जन्म के एक घंटे के अंदर शिशु को स्तनपान प्रारम्भ करा देना चाहिए व छह माह की आयु तक उसे केवल स्तनपान कराना चाहिए। परंन्तु समाज में प्रचलित विभिन्न मान्यताओं व मिथकों के कारण केवल स्तनपान सुनिश्चित नहीं हो पाता है। मॉ एवं परिवार को लगता है कि स्तनपान शिशु के लिए पर्याप्त नहीं है और वह शिशु को अन्य चीचे जैसे कि घुट्टी, शर्बत, शहद, पानी, पिला देती है। स्तनपान से ही शिशु की पानी की भी आवश्यकता पूरी हो जाती है। इसलिए शीघ्र स्तनपान केवल स्तनपान की अवधारणा को जन जन तक पहुॅचाना है।

वयस्कों की तरह उसे भी पानी की आवश्यकता होगा। अतः उसे पानी देने का प्रचलन बढ़ जाता है और शिशुओं में केवल स्तनपान सुनिश्चित नहीं हो पाता है। साथ ही शिशु में दूषित पानी के सेवन से संकमण से दस्त आदि होने की भी संभावना बढ़ जाती है।

दिनांक 26–5–2022 पोषण पाठशाला में लाभार्थियों/प्रतिभागियों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न का प्रारूप

जनपद का नाम.....

प्रश्न	लाभार्थी/प्रतिभागियों का नाम	पद नाम	पता	मोबाइल नम्बर